X गवर्नेन्स, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने अपने 81वीं वर्ष के प्रारंभ में अपने मूल उद्देश्य, मूल्यों एवं 2014-15 के विज़न को पुनः स्पष्ट किया। सहक्रिया निर्माण एवं वितरण प्रणाली की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए संगठनात्मक संरचना में ताल-मेल लाया गया। बैंक ने अपने मानव संसाधनों को प्रशिक्षण एवं विविध एक्सपोज़र उपलब्ध कराने के जरिए अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। बैंक ने वर्ष के दौरान अनुसंधान के प्रचार-प्रसार एवं ज्ञान साझा को बढ़ावा देने के लिए सम्मेलन, संगोष्ठियां एवं लोकसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए। रिज़र्व बैंक द्वारा कारोबार निरंतरता सुनिश्चित किए जाने एवं अपने परिचालनों तथा कार्य-पद्धति में उसके द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन हेतु उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा अपनाई गई। रिज़र्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कूटनीति पर फोकस करने और विश्व स्तरीय रेग्यूलेटरी मानकों में सहभागिता के लिए भी कदम उठाए हैं।

X.1 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के तीन महत्त्वपूर्ण घटकों - गवर्नेन्स, मानव संसाधन एवं संगठनात्मक प्रबंधन के अतिरिक्त कुछ विभागों के कार्यकलापों, यथा, संचार, अंतरराष्ट्रीय संबंध, सरकार एवं बैंकों को बैंकिंग सेवाओं, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन, आर्थिक अनुसंधान, सांख्यिकी, विधि मामलों, कॉरपोरेट कार्यनीति और बजट, कॉरपोरेट सहायक सेवाओं, राजभाषा एवं परिसर के संबंध में चर्चा की गई है। 2014-15 के दौरान, रिज़र्व बैंक अपने मूल उद्देश्य, मूल्यों और विज़न को पुनःस्पष्ट करने के जरिए अपने गवर्नेन्स, प्रबंधन और परिचालन रूपरेखा को और अधिक बेहतर करने की मांग करता है। संगठनात्मक संरचना को और अधिक सुव्यवस्थित किया गया ताकि कार्य-पद्धति में तालमेल लाया जा सके और उभरते परिचालन वातावरण को ध्यान में रखते हुए मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में उत्पाद वितरण को अनुकूल बनाया जा सके। प्रशिक्षण, एक्सपोज़र एवं स्थानांतरण सहित समुचित प्रोत्साहन योजना के जरिए मानव संसाधन का विकास करना ध्यान देने योग्य प्रमुख कार्य-क्षेत्र था ताकि प्रभावी निष्पादन के लिए अपने स्टाफ-सदस्यों की क्षमता का उपयोग किया जा सके। रिज़र्व बैंक अपनी सूचना नीति के जरिए पारदर्शिता लाने, ज्ञान साझा करने एवं जनता द्वारा दैनिक जीवन में सामना किए जा रहे वित्तीय जोखिमों के संबंध में जागरुकता लाने के लिए व्यापक जनता तक पहंचने की चेष्टा करता है। रिज़र्व बैंक का जोखिम प्रबंधन और लेखापरीक्षा परिचालन, कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के सर्वांगीण दृष्टिकोण पर अत्यधिक केंद्रित है।

गवर्नेन्स संरचना

X.2 रिज़र्व बैंक अपने मूल कार्यों का निर्वाह करते समय कॉरपोरेट गवर्नेन्स, निर्णयन की आजादी एवं गुणवत्ता तथा कॉरपोरेट आचार संहिता के संदर्भ में अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता के संबंध में उच्चतर मानक बनाए रखता है। बैंक की गवर्नेन्स संरचना यह सुनिश्चित करता है कि रिज़र्व बैंक की सामान्य नीति, कार्यनीति, प्रशासन और कारोबार उसके मूल उद्देश्य के अनुसार है और अपनाई जा रही प्रक्रियाएं उनके साझा किए गए मूल्यों का अनुपालन करती हैं। सचिव विभाग, जो केंद्रीय बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, शीर्ष प्रबंध को सहायक सेवाएं उपलब्ध करता है।

X.3 केंद्रीय निदेशक मंडल गवर्नेन्स संरचना का शीर्ष निकाय है। इसमें गवर्नर की अध्यक्षता में रिज़र्व बैंक के चार उप गवर्नर, सराकरी नामिती एवं स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, जो रिज़र्व बैंक के उद्देश्यों के अनुरूप भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सफल एवं सुप्रसिद्ध हैं। देश के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों के स्थानीय हितों की रक्षा के लिए चार स्थानीय बोर्ड की व्यवस्था है। भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुरूप केंद्रीय बोर्ड में निदेशकों को और स्थानीय बोर्ड में सदस्यों को नियुक्त/नामित करता है। केंद्रीय बोर्ड को तीन समितियों, यथा, केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) एवं भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस) की सहायता प्राप्त है। इसके

अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड की चार उप-समितियां, यथा, लेखापरीक्षा और जोखिम निगरानी उप-समिति, मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति, भवन उप-समिति और सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति, भी हैं।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें और सीसीबी

X.4 केंद्रीय बोर्ड द्वारा 2014-15 में चेन्नै, नई दिल्ली (दो बैठकें), कोलकाता, हैदराबाद और गोवा में कुल 6 बैठकें आयोजित की गईं। भारत के माननीय वित्त मंत्री ने 10 अगस्त 2014 एवं 22 मार्च 2015 को नई दिल्ली में बजट-पश्चात आयोजित दो बैठकों का संबोधन किया। गवर्नर ने इन कतिपय बैठकों के अवसर पर संबंधित राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों एवं वाणिज्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

X.5 सीसीबी द्वारा वर्ष के दौरान 46 बैठकें आयोजित की गईं जिनमें से 22 बैठकें इलेक्ट्रॉनिक विधि से आयोजित की गईं जिससे एक ही स्थान पर साकार सम्मेलन करने की आवश्यकता से बचा जा सके। समिति ने रिज़र्व बैंक के वर्तमान कारोबार के साथ निर्गम एवं बैंकिंग विभागों से संबंधित रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक स्थिति विवरण के अनुमोदन पर ध्यान केंद्रित किया। केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा क्षेत्र-विशिष्ट मामलों एवं मुद्दों के संबंध में चर्चा करने के लिए दो बैठकें आयोजित की गईं।

केंद्रीय बोर्ड/स्थानीय बोर्ड - परिवर्तन

X.6 श्री राजीव महर्षि, वित्त सचिव, भारत सरकार एवं डॉ. हसमुख अढ़िया, सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत क्रमशः 25 नवंबर 2014 और 11 नवंबर 2014 को डॉ. अरविंद मायाराम एवं डॉ. गुरदयाल सिंह संधू की जगह केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों के रूप में नामित किया गया। श्री अजय त्यागी, अवर सचिव (निवेश), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934, की धारा 8(1)(डी) के अंतर्गत दिनांक 22 जून 2015 की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा श्री राजीव महर्षि की जगह केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया।

X.7 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 9(3) के प्रावधानों के अनुसार श्री कमल किशोर गुप्ता एवं श्री मिहिर कुमार मोइत्रा 25 अगस्त 2014 और 23 सितंबर 2014 से उत्तरी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड के सदस्य नहीं रहे।

निदेशकों की उपस्थिति

X.8 केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की सहभागिता का ब्यौरा सारणी X.1 में दिया गया है।

सारणी X.1: निदेशकों की उपस्थिति - 2014-15

नाम	भारिबैं अधिनियम, 1934 के अंतर्गत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति
1	2	3	4
रघुराम जी. राजन	8(1)(ए)	6	6
हारुन आर खान	8(1)(ए)	6	6
उर्जित आर पटेल	8(1)(ए)	6	5
आर. गांधी	8(1)(ए)	6	6
एस.एस. मूंदड़ा	8(1)(ए)	6	5
अनिल काकोडकर	8(1)(बी)	6	5
किरण एस. कर्णिक	8(1)(बी)	6	6
नचिकेत मोर	8(1)(बी)	6	6
वाइ.एच. मालेगाम	8(1)(सी)	6	6
दिपांकर गुप्ता	8(1)(सी)	6	3
जी.एम. राव	8(1)(सी)	6	5
इला भट्ट	8(1)(सी)	6	5
इन्दिरा राजारमण	8(1)(सी)	6	6
वाई.सी. देवेश्वर	8(1)(सी)	6	2
दामोदर आचार्य	8(1)(सी)	6	6
अरविंद मायाराम*	8(1)(डी)	3	1
गुरदयाल सिंह संधू**	8(1)(डी)	3	1
हसमुख अढिया #	8(1)(डी)	3	1
राजीव महर्षि ##	8(1)(डी)	3	1

* 25 नवंबर 2014 से निदेशक पद में नहीं रहे;
** 11 नवंबर 2014 से निदेशक पद में नहीं रहे;
# 11 नवंबर 2014 से निदेशक के रूप में नामित;
25 नवंबर 2014 से निदेशक के रूप में नामित।

कार्यपालक निदेशक - परिवर्तन

X.9 श्री बी. महापात्र एवं श्री जी. पद्मनाभन, कार्यपालक निदेशक क्रमशः 31 अगस्त 2014 एवं 31 मई 2015 को सेवानिवृत्त हुए। डॉ. मायकल डी. पात्रा, श्री के.के. वोहरा एवं श्री जी. महालिंगम 7 अक्तूबर 2014 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए। श्रीमती मीना हेमचन्द्र 01 जून 2015 को कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत हुईं।

निधन सूचना

X.10 27 जून 2006 से 23 सितंबर 2011 तक केंद्रीय बोर्ड के निदेशक रह चुके श्री सुरेश न्योतिआ का 07 मई 2015 को कोलकाता में निधन हुआ। 27 नवंबर 2000 से 14 जून 2002 तक केंद्रीय बोर्ड के निदेशक रह चुके डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को शिलांग में निधन हुआ।

विदेशी गणमान्य अतिथियों/प्रतिनिधि मंडलों के दौरे

X.11 वर्ष के दौरान 12 देशों से बीस प्रतिनिधि मंडलों ने रिज़र्व बैंक का दौरा किया। उनके द्वारा शीर्ष प्रबंध के साथ बहुत सारे बहुपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों और रिज़र्व बैंक की कार्य-पद्धति के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में बैंक की नीतिगत पहलों पर विचार-विमर्श किया गया। 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक का दौरा करने वाले विदेशी गणमान्य अतिथियों में निम्नलिखित शामिल हैं - नीदरलैंड की एच.एम. क्वीन मैक्सिमा, विकास के लिए समावेशी वित्त हेतु राष्ट्र संघ के महा-सचिव के विशिष्ट अधिवक्ता; राईट आनरबल जॉर्ज ओस्बोर्न, वित्त मंत्री, यूके; सुश्री पेन्नी प्रिट्ज़कर, अमरीका के वाणिज्य सचिव; श्री बिल गेट्स और उनकी टीम; डॉ. वलीओल्लाह सैफ़, सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान के गवर्नर; राईट आनरबल ऐलन यारो, लंदन शहर के कमांडर; माननीय एन्ड्रीयू रॉब, संसद सदस्य, ऑस्ट्रेलियाई व्यापार एवं निवेश मंत्री; श्री जेकॉब जे. ल्यू, अमरीकी राजकोष सचिव; श्री स्टेनले फिशर, उपाध्यक्ष, केंद्रीय गवर्नर मंडल, फेडरल रिज़र्व प्रणाली, और सुश्री क्रिस्टीन लगार्डे, प्रबंध निदेशक, आईएमएफ।

गवर्नेन्स में सुधार के उपाय

X.12 वर्ष के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेन्स की गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ-साथ उसकी लागत को कम करने के उपाय किए गए। रिज़र्व बैंक ने, अपनी स्थापना के 81वें वर्ष में प्रवेश करते हुए, समसामयिक संदर्भ में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की प्रस्तावना में दिए गए अपने मूल उद्देश्य को पुनः स्पष्ट किया (बॉक्स X.1).

बॉक्स X.1
भारतीय रिज़र्व बैंक: मूल उद्देश्य, मूल्यों और लक्ष्यों का विवरण

चूंकि रिजर्व बैंक अपने अस्तित्व के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, जो रिजर्व बैंक का संस्थापक कानून है, की प्रस्तावना में दिए गए रिजर्व बैंक के मूल उद्देश्य को समसामयिक संदर्भ में पुनःस्पष्ट करने की जरूरत महसूस की गई। इसका प्रयोजन है रिजर्व बैंक के कार्यनीतिक उद्देश्यों को अंकित करना और एक रूपरेखा तथा पृष्ठभूमि उपलब्ध करना जिसके अंतर्गत एवं सहारे रिजर्व बैंक की नीतियां बनाई जाएंगी और रिजर्व बैंक द्वारा निदेश दिया जाएगा। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने अपना 'मूल उद्देश्य, मूल्य और लक्ष्य' संबंधी विवरण अप्रैल 2015 में जारी किया जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मूल उद्देश्य

धारणीय आर्थिक संवृद्धि के अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना एवं दक्ष तथा समावेशी वित्तीय प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना।

रिजर्व बैंक का मूल उद्देश्य राष्ट्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता हैः

रुपए के आंतरिक और बाह्य मूल्य के प्रति विश्वास को बढ़ाना, एवं समष्टि-आर्थिक स्थिरता में सहयोग करना;

बाजार और संस्थाओं को अपनी परिधि के अंतर्गत विनियमित करना ताकि वित्तीय प्रणाली स्थिरता एवं उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके;

वित्तीय और भुगतान प्रणाली में विश्वसनीयता, दक्षता, समग्रता एवं प्रतियोगितात्मकता को बढ़ावा देना;

मुद्रा के कुशल प्रबंधन के साथ-साथ सरकार और बैंकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना; और

देश के संतुलित, साम्यिक और धारणीय आर्थिक विकास में सहयोग देना।

मूल्य

भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है जो रिजर्व बैंक के मूल उद्देश्य की खोज में संगठनात्मक निर्णयों और कर्मचारी की क्रियाओं का मार्गदर्शन करता है:

(जारी...)

लोक हित

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने कार्यों और नीतियों में लोक हित और सर्वहित को बढ़ावा देता है।

विश्वसनीयता और विचारों की आजादी

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने खुलेपन, भरोसा और जवाबदेही के जरिए विश्वसनीयता का उच्च मानक एवं विचारों की आजादी बनाए रखता है।

प्रतिक्रियाशीलता और नवोन्मेषण

भारतीय रिज़र्व बैंक एक गतिशील संगठन है जो जनता की जरूरतों के प्रति प्रतिक्रियाशील है और नवोन्मेषण तथा पूछताछ की भावना को बढ़ावा देता है।

विविधता और समग्रता

भारतीय रिज़र्व बैंक विविधता और समग्रता का पोषण एवं समर्थन करता है।

आत्मविश्लेषण और उत्कृष्टता की खोज

भारतीय रिज़र्व बैंक स्व-मूल्यांकन, आत्मविश्लेषण और व्यावसायिक उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध है।

लक्ष्य

रिज़र्व बैंक एक अग्रणी केंद्रीय बैंक के रूप में लोक हित और सर्व हित के लिए प्रतिबद्ध है जो अपनी विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं अति सक्रिय नीतियों के लिए जाना जाता है।

X.13 बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले महत्त्वपूर्ण मदों पर अनौपचारिक पूर्व-बोर्ड बैठक में विचार-विमर्श किया गया ताकि बोर्ड के निर्णयन की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सके। वर्ष के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के सामान्य विनियमों में संशोधन किया गया ताकि सीसीबीज़ की साप्ताहिक बैठकों के बदले, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर, पाक्षिक बैठकें आयोजित की जा सकें। आगामी वर्ष में, रिज़र्व बैंक निर्णयन प्रक्रिया को और अधिक कारगार बनाने के उपायों को खोजने का प्रयास जारी रखेगा।

संचार प्रक्रियाएं

X.14 रिज़र्व बैंक घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों के प्रति द्रुत अनुक्रिया योग्य लचीली संचार नीति की ओर अग्रसर है। संचार विभाग (डीओसी) ने एक केंद्रीय स्कंध के रूप में पारस्परिक संचार अर्थात् पारदर्शी, समयबद्ध एवं विश्वसनीय प्रसार और प्रतिक्रिया के जरिए रिज़र्व बैंक और जनता के बीच एक उपयोगी साझेदारी का निर्माण एवं पोषण करने का प्रयास किया है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

वेबसाइट नवीकरण

X.15 अप्रैल 2015 में, बैंक की नवीन वेबसाइट लागू की गई, जो कार्य-वार सूचना एवं खोज सुविधा के संबंध में अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल एक्सेस और निर्योग्य प्रयोक्ताओं के लिए एक्सेसिबिलिटी टूलबार उपलब्ध कराती है। वेबसाइट को अब दो सामाजिक मीडिया साइटों, यथा, ट्विटर और यूट्यूब के साथ एकीकृत किया गया है। तदनुसार, गवर्नर के मौद्रिक नीति के बाद के सम्मेलनों को सामान्य तौर पर मीडिया में सीधे प्रसारित करने के अतिरिक्त इस वर्ष यूट्यूब के माध्यम से भी प्रसारित किया गया।

जागरुकता अभियान और लोकसंपर्क कार्यक्रम

X.16 फर्जी प्रस्तावों का बड़ी मात्रा में शिकार हो रहे जनता को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक द्वारा फर्जी ई-मेल के जोखिम के संबंध में जनता को सावधान करने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय के साथ मिलकार एक संयुक्त अभियान 'जागो ग्राहक जागो' चलाया गया। फर्जी मेल के संबंध में प्रिंट मीडिया में भी लोक जागरुकता अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त मुद्रा नोटों की सुरक्षा संबंधी विशेषताओं के संबंध में भी जागरुकता अभियान चलाया गया।

शीर्ष प्रबंध, अधिकारियों और मीडिया के लिए कार्यशालाएं

X.17 वर्ष के दौरान, प्रभावी मीडिया प्रबंधन के संबंध में शीर्ष कार्यपालकों, एवं नव नियुक्त क्षेत्रीय निदेशकों तथा मुख्य महाप्रबंधकों, प्रत्येक के लिए दो कार्यशालाएं आयोजित की गईं। प्रबंधकों एवं सहायक महाप्रबंधकों के लेखन कौशल के संबंध में भी एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त, रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट और विज्ञप्तियों के संबंध में मीडिया के लिए कई अनौपचारिक लघु चर्चाएं/कार्यशालाएं की गईं।

संचार नीति की समीक्षा

X.18 लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्य अपनाए जाने की वजह से संचार की भूमिका और अधिक महत्त्व रखती है, ख़ास तौर पर स्फीतिकारी

प्रत्याशाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में। इस पृष्ठभूमि के साथ ही कई बाह्य एवं आंतरिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए समिति (अध्यक्षः डॉ. माइकल डी. पात्रा) द्वारा बैंक की संचार नीति की वर्तमान समीक्षा की जा रही है जो अपनी रिपोर्ट संभवतः 2015-16 के दौरान प्रस्तुत करेगी। रिज़र्व बैंक में आंतरिक संचार को बेहतर करने की दिशा में, 2015 में रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों के लिए गवर्नर के साथ दो बैंकिंग हॉल कार्यक्रम, एक बंगलुरू और दूसरा चंड़ीगढ़ में आयोजित किए गए।

2015-16 की कार्यसूची

X.19 2015-16 के दौरान, हितधारकों के साथ गत वर्ष के समान बहुविध व्यवस्था/आउटरीच/अभियान जारी रखा जाएगा। फेसबुक और लिंक्डइन जैसी सामाजिक मीडिया को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट के साथ जोड़ने की योजना बनाई गई है ताकि युवा इसका एक्सेस कर सके। 2015-16 के दौरान नेपाल में मीडिया के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जाएगी। रिज़र्व बैंक की संचार नीति की समीक्षा करने के लिए समिति की आगामी रिपोर्ट के आलोक में अनुवर्ती उपाय भी किए जाएंगे।

मानव संसाधन संबंधी पहल

X.20 रिज़र्व बैंक में व्यापक स्तर पर परिचालन संबंधी कार्य किए जाते हैं, इसलिए इसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आंतरिक क्षमताओं वाले एक मजबूत ढांचे की जरुरत है। अतः मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) के नेतृत्व में कारपोरेट स्तर पर और विभाग व प्रकार्य के स्तर पर भी लक्ष्य निर्धारित करने, परिवेश, आंतरिक क्षमताओं के बीच दोतरफा इंटरफेस के रूप में मानव संसाधन संबंधी पहल और रणनीतियां बनाई और विकसित की गई हैं।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

X.21 2014-15 में, विकसित वित्तीय क्षेत्र को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए क्लस्टर अप्रोच अर्थात संबंधित क्षेत्रों को आपस में एक समूह में रखने की प्रणाली को अपनाने के बाद रिज़र्व बैंक द्वारा संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया है (बॉक्स X.2)।

प्रशिक्षण

X.22 कौशल और ज्ञान वृद्धि करने से संबंधित की गई पहल का जोर तकनीकी और व्यवहारगत कौशल को विकसित करने

बॉक्स X.2
रिज़र्व बैंक का संगठनात्मक पुनर्गठन

कुछ समय से, रिज़र्व बैंक निरंतर गतिशील कारोबार परिवेश में कार्यनिष्पादन बढ़ाने हेतु अधिक लचीले और उत्तरदायी संगठनात्मक ढांचा को अपनाने से संबंधित अनेक रणनीतियों पर विचार कर रहा है। इस प्रक्रिया के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने संगठनात्मक पुनर्गठन पर एक समिति (अध्यक्षः श्री दीपक मोहंती; सह-अध्यक्ष, श्री बी. महापात्रा) गठित की थी। मोटे तौर पर, समिति की सिफारिशों और विस्तृत आंतरिक परामर्शी प्रक्रिया के परिणामों के आधार पर रिज़र्व बैंक में संगठनात्मक पुनर्गठन किया गया जो कि 03 नवंबर 2014 से लागू हुआ।

पुनर्गठन के बाद रिज़र्व बैंक में दो नए विभाग अर्थातः (i) कारपोरेट सेवाएं विभाग और (ii) अंतरराष्ट्रीय विभाग का गठन किया गया है। इसके साथ-साथ, कई मौजूदा विभागों को नया नाम दिया गया और कई विभागों में नई ईकाइयों का सृजन किया गया है। इससे संबंधित विस्तृत विवरण सारणी 1-3 में दिया गया है।

सारणी 1: विभागों का पुनः नामकरण

पुरानी नामावली	नई नामावली
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग (डीबीओडी)	बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)
ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग (आरपीसीडी)	वित्तीय समावेशन और विकास विभाग (एफआईडीडी)
ग्राहक सेवा विभाग (सीएसडी)	उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)
व्यय और बजट नियंत्रण विभाग (डीईबीसी)	कोर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी)

(जारी...)

सारणी 2: नए विभागों का सृजन/उत्कीर्णन

मौजूदा विभाग	नए विभाग का नाम	टिप्पणी
शहरी बैंक विभाग (यूबीडी)	सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर) सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)	यूबीडी को समाप्त कर दिया गया है
वित्तीय बाजार विभाग (एफएमडी)	वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी) वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)	एफएमडी को समाप्त कर दिया गया है
गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)	गैर बैंकिंग विनियमन विभाग (डीएनबीआर) गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण प्रभाग (डीएनबीएस)	डीएनबीएस से विनियमन अलग कर दिया गया है

सारणी 3: नई इकाईयों का सृजन

मौजूदा विभाग	नई इकाई का नाम
सांख्यकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम)	डीएसआईएम के भीतर आंकड़ा और सूचना प्रबंधन इकाई।
मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी)	एमपीडी के भीतर पूर्वानुमान और मॉडलिंग इकाई।
मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी)	एचआरएसडी के भीतर एचआर परिचालन इकाई।
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)	एफएमआरडी के भीतर बाजार आसूचना इकाई।

उसी प्रकार, रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) को थ्री-टियर वर्गों में बांटा गया है। टियर-I में अथवा मेट्रो शहर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात मुबंई, नई दिल्ली, कोलकाता और चेन्नै स्थित रिज़र्व बैंक के चार कार्यालयों को शामिल किया गया है। टियर-II अथवा गैर-मेट्रो शहर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में 14 क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात (i) अहमदाबाद; (ii) बेंगलुरु; (iii) भोपाल; (iv) भुवनेश्वर; (v) चंड़ीगढ़; (vi) गुवाहटी; (vii) हैदराबाद; (viii)जयपुर; (ix)जम्मु; (x) कानपुर; (xi) लखनऊ; (xii) नागपुर; (xiii) पटना और (xiv) तिरुवनंतपुरम को शामिल किया गया है। टियर-III के क्षेत्रीय कार्यालयों में 10 छोटे कार्यालयों अर्थात (i) अगरतला; (ii) बेलापुर; (iii)देहरादून; (iv) गंगटोक; (v) कोच्चि; (vi)पणजी; (vii) रायपुर; (viii)रांची; (ix) शिलांग; (x) शिमला को शामिल किया गया है।

कार्य का आकार और मात्रा के आधार पर पुनर्गठित क्षेत्रीय कार्यालयों को निम्नलिखित क्लस्टर में रखा गया है :

टियर I और टियर II में चार क्लस्टर होंगे : (i) पर्यवेक्षण, बाजार आसूचना और अनुसंधान; (ii) मुद्रा और बैंकिंग सेवाएं; (iii) वित्तीय समावेशन और ग्राहक सेवा; और (iv) मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) और इन्फ्रास्ट्रक्चर।

टियर III में तीन क्लस्टर होंगे : (i) पर्यवेक्षण और बाजार आसूचना; (ii) वित्तीय समावेशन/वित्तीय साक्षरता, लोगों में जागरुकता, ग्राहक सेवा, और अनुसंधान; और (iii) एचआरएम और इन्फ्रास्ट्रक्चर

ऐसी अपेक्षा है कि संगठनात्मक पुनर्गठन से बहुत अधिक मैनिजिरीअल सिनर्जी आएगी और अनेक प्रमख कार्य क्षेत्रों में रिज़र्व बैंक के स्टाफ-सदस्य अपनी विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग कर सकेंगे।

पर रहा है ताकि स्टाफ-सदस्यों की व्यक्तिगत कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके और कार्य करने में उनकी क्षमता बढ़ सके। रिज़र्व बैंक के छह प्रशिक्षण संस्थानों ने उनकी जरुरतों को पूरा किया (सारणी X.2).

बाहरी संस्थाओं में प्रशिक्षण

X.23 2014-15 के दौरन, अनेक अधिकारियों को भारत और बाहरी प्रबंधन/बैंकिंग संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया

सारणी X.2 : रिज़र्व बैंक प्रशिक्षण संस्थान: आयोजित कार्यक्रमों की संख्या (जुलाई-जून)

प्रशिक्षण संस्थान	2012-13		2013-14		2014-15	
	कार्यक्रम	सहभागी	कार्यक्रम	सहभागी	कार्यक्रम	सहभागी
1	2	3	4	5	6	7
आरबीएससी, चेन्नै	126	2,676	105	2,560	141	2,626*
सीएबी, पुणे	164	5,105	127	3,909	215	7,183@
4 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी I)	116	2,526	99	2,222	104	2,215
4 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी III)	64	1,492	70	1,510	98	2,036
4 आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र (श्रेणी IV)	58	1,184	37	725	53	1,041

*: 30 विदेशी सहभागी शामिल है। @: 63 विदेशी सहभागी शामिल हैं। आरबीएससी : रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय, चेन्नै; जेडटीसीः आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र।

गया (सारणी X.3)। इसके अतिरिक्त, श्रेणी III और श्रेणी IV के अनेक कर्मचारियों को भारत में ही बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाया गया।

स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति और अध्ययन अवकाश

X.24 स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छह अधिकारियों का चयन विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया गया। वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 अधिकारियों ने अध्ययन अवकाश लिया। इसके अलावा, 599 कर्मचारियों ने बैंक की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित अंशकालिक/दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रमों को पूरा किया।

अनुदान और धर्मादा

X.25 रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा कनसल्टेंसी को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹300 मिलियन; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षण केंद्र (कैफरल), मुंबई को ₹140 मिलियन, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआइबीएम), पुणे को ₹18.4 मिलियन, भारतीय बैंक प्रबंध संस्थान (आइआइबीएम), गुवाहाटी को ₹6.9 मिलियन तथा लंदन स्कूल आफ इकानामिक्स (एलएसई) में इंडिया आबजर्वेटरी एवं आईजी पटेल पद (चेयर) की स्थापना के लिए ₹10 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है ।

आरबीआईक्यू

X.26 आरबीआईक्यू 2014 में लगभग 5,000 स्कूलों और 10,000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। पूरे भारत में 62 अलग-अलग स्थानों पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आंचलिक एवं राष्ट्रीय फाइनल मुंबई में आयोजित किया गया जिसका प्रसारण दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर किया गया।

सारणी X.3 : भारत और विदेश में स्थित बाहरी प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित अधिकारियों	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2012 - 13	874	510
2013 - 14	798	530
2014 - 15	913	562

औद्योगिक संबंध

X.27 2014-15 के दौरान औद्योगिक संबंध सामान्यतः शांतिपूर्ण बने रहे। अधिकारियों और कर्मचारियों/कामगारों के मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों के साथ कर्मचारियों के कल्याण एवं सेवा स्थितियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया।

सेवानिवृत्ति लाभ

X.28 2003 में केंद्रीय बोर्ड के अनुमोदन से रिज़र्व बैंक ने 1 नवंबर 1997 से पूर्व सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को भुगतान की गई मासिक पेंशन में कुछ संशोधन किए थे। तथापि, सरकार ने पाया है कि पेंशन योजना में किए गए संशोधनों को तब तक लागू नहीं किया जा सकता है, जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक पेंशन विनियमन, 1990 के विनियमन 2(2) में समुचित संशोधन न किया जाए और रिज़र्व बैंक से इसे वापस लेने का अनुरोध किया गया। अक्तूबर 2008 में, मासिक पेंशन में उपर्युक्त संशोधनों को केंद्रीय बोर्ड द्वारा वापस ले लिया गया। तथापि इसे मुंबई न्यायाधिकरण के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां सम्माननीय हाईकोर्ट ने संशोधनों को वापस लेने के संबंध में रिज़र्व बैंक के परिपत्र पर ध्यान नहीं दिया। पेंशन में संशोधन के लिए सभी पेंशनधारकों/सेवानिवृत्त सदस्य अभी भी लगातार मांग कर रहे हैं। तथापि, आज की तारीख तक मामले का हल नहीं निकला है, यद्यपि, रिज़र्व बैंक और सरकार इस मुद्दे पर कार्य कर रहे हैं।

भर्ती और स्टाफ संख्या

X.29 वर्ष 2014 में 784 कर्मचारियों की भर्ती के साथ कुल स्टाफ संख्या एक वर्ष पहले के 17,360 की तुलना में 31 दिसंबर

सारणी X.4 : 2014 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई भर्ती (जनवरी-दिसंबर)

भर्ती का वर्ग	वर्ग वार संख्या				
	कुल	*जिसमें से*		कुल का प्रतिशत	
		अजा	अजजा	अजा	अजजा
1	2	3	4	5	6
वर्ग I	182	27	13	14.8	7.1
वर्ग III	120	15	7	12.5	5.8
वर्ग IV					
(क) रखरखाव परिचारक	365	81	5	22.2	1.4
(ख) अन्य	117	12	4	10.3	3.4
कुल	**784**	**135**	**29**	**17.2**	**3.7**

अजा: अनुसूचित जाति; अजजा: अनुसूचित जनजाति.

2014 की स्थिति के अनुसार 16,794 रही। संवर्ग-वार कर्मचारियों का विवरण सारणी X.4 और सारणी X.5 में दिया गया है।

X.30 वर्ष 2014 के दौरान रिज़र्व बैंक प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बुद्धिस्ट फेडरेशन ने रिज़र्व बैंक में आरक्षण नीति लागू करने के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 4 बार मुलाकात की । 31 दिसंबर 2014 को रिज़र्व बैंक में अन्य पिछड़ी जाति (ओबीसी) की (सितंबर 1993 के बाद की गई भर्ती) संख्या 1,870 रही, जिसमें से 533 श्रेणी I में, 604 श्रेणी III में और 733 श्रेणी IV में हैं।

X.31 31 दिसंबर 2014 की स्थिति के अनुसार रिजर्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 1,005 थी, जिनमें से 200 श्रेणी I में, 147 श्रेणी III में और 658 श्रेणी IV में रही। 31 दिसंबर 2014 को श्रेणी I, श्रेणी III और श्रेणी IV में शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या क्रमशः 234, 89 और 105 रही। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार स्टाफ संख्या की संवर्ग-वार संख्या सारणी X.6 में दी गई है।

X.32 कुल स्टाफ संख्या के 29.2 प्रतिशत स्टाफ के साथ रिज़र्व बैंक के मुबंई स्थित कार्यालय में (केंद्रीय कार्यालय विभागों सहित) में सबसे अधिक स्टाफ सदस्य हैं (सारणी X.7)।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

X.33 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निषेघ, रोकथाम और निवारण) अधिनियम और नियम, 2013 के अनुसार 2014-15 में नए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में अन्य के साथ-साथ शिकायतों के निपटान के लिए सख्त समय-सीमा और आंतरिक शिकायत समिति को दंड़ लगाने सहित काफी अधिकार प्रदान किए गए हैं। जहां, 2014 के दौरान रिज़र्व बैंक में यौन उत्पीड़न से संबंधित एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, वहीं इन मामलों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और बैंक के नए दिशा-निर्देश के बारे में स्टाफ/शिकायत समिति के सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर जागरुकता/ओरीएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गएं।

सारणी X.5 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या

वर्ग	वर्गवार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत	
	कुल संख्या		अजा		अजजा		अजा	अजजा
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्रेणी I	7,864	7,565	1,133	1,128	499	479	14.9	6.3
श्रेणी III	3,916	3,573	586	499	252	193	14.0	5.4
श्रेणी IV	5,580	5,656	1,764	1,740	463	446	30.8	7.9
कुल	**17,360**	**16,794**	**3,483**	**3,367**	**1,214**	**1,118**	**20.0**	**6.7**

टिप्पणी : 31 दिसंबर की स्थिति।

सारणी X.6 भारतीय रिज़र्व बैंक की स्टाफ संख्या
(30 जून 2015 की स्थिति)

ग्रेड	स्टाफ संख्या
1	2
ग्रेड ए	4,077
ग्रेड बी	1,552
ग्रेड सी	1,025
ग्रेड डी	271
ग्रेड ई	353
ग्रेड एफ	101
श्रेणी I में कुल	**7,379**
विशेष सहायक	815
वरिष्ठ सहायक	247
सहायक	2,381
शब्द संसाधन सहायक	173
सचिव	32
अन्य	272
श्रेणी III में कुल	**3,920**
रखरखाव स्टाफ	1,395
तकनीकी स्टाफ	135
सेवा स्टाफ	3,127
अन्य	715
श्रेणी IV में कुल	**5,372**
कुल स्टाफ संख्या	**16,671**

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

X.34 रिजर्व बैंक में वर्ष 2014-15 के दौरान आरटीआई के अंतर्गत 8,044 अनुरोध सूचना के लिए तथा 1,021 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से सभी के जवाब दिए गए। 27 फरवरी 2015 से लागू , रिजर्व बैंक ने अपने आप को सरकार के आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया है ताकि आम जनता अपने आरटीआई आवेदन और प्रथम अपीलें ऑनलाइन फाइल कर सकें। रिजर्व बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों में पर स्टाफ-सदस्यों के लिए आरटीआई अधिनियम के संबंध में चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

समाधान और अन्य पहल

X.35 वेतन और अन्य कर्मचारी लाभ सहित अपने कर्मचारियों को समान, स्वचालित और नियम आधारित एचआर सेवाओं प्रदान करने के लिए एक एचआर ट्रान्स्फर्मेशन प्रोजेक्ट की शुरूआत बैंक द्वारा की गई है, जिसका नाम *समाधान* है। एसएपी आधारित *समाधान* एप्लीकेशन कर्मचारियों को कहीं भी 24X7X365 आधार पर उनके कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट पर उपलब्ध होगा। त्वरित सेवाएं प्रदान करने के लिए *समाधान* के कार्य करने में मानव हस्तक्षेप कम-से-कम होगा। समाधान की शुरुआत

सारणी X.7: रिज़र्व बैंक के कार्यालय वार स्टाफ संख्या
(30 जून 2015 की स्थिति)

कार्यालय (उप कार्यालय सहित)	श्रेणी I	श्रेणी III	श्रेणी IV	कुल
1	2	3	4	5
अगरतला	10	5	0	**15**
अहमदाबाद	275	168	231	**674**
बेलापुर	132	53	178	**363**
बेंगलुरु	460	185	220	**865**
भोपाल	153	126	123	**402**
भुवनेश्वर	148	115	170	**433**
चंडीगढ़	195	105	117	**417**
चेन्नै	433	340	354	**1,127**
देहरादून	19	6	2	**27**
गंगटोक	8	0	0	**8**
गुवाहाटी	195	136	187	**518**
हैदराबाद	311	158	243	**712**
जयपुर	216	148	181	**545**
जम्मू@	97	56	59	**212**
कानपुर	215	164	267	**646**
कोच्चि	33	34	29	**96**
कोलकाता	482	427	442	**1,351**
लखनऊ	150	106	146	**402**
मुंबई	609	325	959	**1,893**
नागपुर	240	205	234	**679**
नई दिल्ली	501	236	294	**1,031**
पणजी, गोवा	16	3	3	**22**
पटना	181	144	218	**543**
पुणे -सीएबी-सी आरडीसी-आईटीपी	66	37	69	**172**
रायपुर	20	6	0	**26**
रांची	16	7	0	**23**
शिलांग	9	5	0	**14**
शिमला	14	6	0	**20**
तिरुवनंतपुरम	209	115	131	**455**
कुल	**5,413**	**3,421**	**4,857**	**13,691**
कें.का. विभाग #	**1,966**	**499**	**515**	**2,980**
सकल योग	**7,379**	**3,920**	**5,372**	**16,671**

सीएबी : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय;
सीआरडीसी : केंद्रीय अभिलेख और प्रलेखन केंद्र;
आईटीपी : आईएमएफ प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुणे;
@ : श्रीनगर उप-कार्यालय शामिल है;
# : डीआईसीजीसी सहित केंद्रीय कार्यालय विभाग।

होने से सभी कर्मचारियों के इस्टैब्लिशमेंट लेनदेनों को एक ही जगह से संसाधित करने के लिए एक एचआर परिचालन ईकाई बेंगलुरु में स्थापित की गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि नई दिल्ली में एक कारोबार निरंतरता कार्यस्थल की स्थापना की जाए। प्रशासनिक लागत को अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए मुंबई में एक केंद्रीयकृत प्रशासनिक ईकाई की स्थापना की गई है ताकि मुंबई स्थित सभी केंद्रीय कार्यालय विभागों की जरुरतों को पूरा किया जा सके।

कार्यनिष्पादन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस) और जॉब-प्रोफोइल

X.36 समीक्षा के पहले चक्र से रैंकिंग मॉडल के साथ-साथ की-रिजल्ट-एरिया (केआरए) आधारित पीएमएस प्रणाली वर्ष 2013-14 से अपनाई गई है। इसके अलावा, अपेक्षित क्षमताओं की पहचान करने, इन क्षमताओं को विकसित करने और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में समान स्थितियों का मानकीकरण करने के लिए सभी कार्यक्षेत्रों के जॉब-प्रोफोइल का संकलन किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए जॉब-प्रोफोइल को अंतिम रूप सितंबर 2015 तक और 'बी' और 'सी' ग्रेड के अधिकारियों के लिए जॉब प्रोफाइल को मार्च 2016 तक अंतिम रूप दिया जाना है।

सीनियर मैनेजमेंट रिट्रीट एवं अन्य गतिविधियां

X.37 2014 के लिए रिज़र्व बैंक के सीनियर मैनेजमेंट रिट्रीट मसूरी में आयोजन किया गया जिसका मुख्य थीम *'आरबीआई@80ः प्रतिगामी और अग्रगामी दृष्टि'* था। ज्ञान साझा करने के अंतर-संस्थागत व्यवस्था के रूप में, मई 2015 में एक संयुक्त अंतरराष्ट्रीय सेमिनार यूरोपियन सेंट्रल बैंक (ईसीबी) के सहयोग से कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में 'वित्तीय स्थिरताः मुद्दे और चिंताएं' विषय पर आयोजित किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.38 संगठन के भीतर उपलब्ध क्षमताओं का मूल्यांकन करने के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) में भर्ती, नियुक्ति प्रणाली, संगठनात्मक पुनर्गठन के बाद आंतरिक प्रक्रियाओं को बेतहर बनाने, प्रतिभा की पहचान करने, प्रतिभा प्रबंधन और निरंतर क्षमता निर्माण जैसे एचआर से जुड़े सभी कार्यों को 2015-16 में करने की योजना बनाई है।

आरबीआई अकादमी

X.39 रिज़र्व बैंक ने नवी मुंबई में आवासीय सुविधा सहित अत्याधुनिक संरचनायुक्त एक अकादमी स्थापित करने की योजना बनाई है जिसका मुख्य उद्देश्य अपने स्टाफ-सदस्यों को ई-लर्निंग सहीत समेकित शिक्षा और विकास प्रदान करना होगा। इसके अतिरिक्त, यह अकादमी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) और अन्य क्षेत्रों के विदेशी केंद्रीय बैंकों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित करेगा, ताकि बाह्य सहयोग और समग्र शिक्षा को बढ़ावा मिल सके।

क्षमता आधारित एचआर ढांचा

X.40 भविष्य में, एचआर ढांचा करियर योजना, नियुक्ति, लक्ष्यित शिक्षा और उत्तराधिकार योजना, समेकित एचआर प्रक्रियाएं बनाने के लिए क्षमता आधारित होगा। इसलिए, प्रत्येक भूमिका के लिए निर्धारित प्रकार्य एवं व्यवहारवादी क्षमता तथा मानव संसाधन की उपलब्ध क्षमताओं का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। स्टाफ की व्यवहारवादी क्षमता की मैपिंग का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन केंद्रों की स्थापना की जाएगी।

संरचित ई-लर्निंग

X.41 रिज़र्व बैंक अपने स्टाफ-सदस्यों के लिए संरचित ई-लर्निंग की शुरुआत करने जा रहा है। पहले चरण में, ई-लर्निंग माड्यूल में मुख्यतः स्टाफ-सदस्यों के बड़े समूह को ध्यान में रखते हुए समावेशी पाठ्यक्रमों और कक्षा पाठ्यक्रमों के सूपंरक के रूप में विशेष पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ज्ञान के व्यापक प्रासरण के लिए वेबिनार्स (वेब आधारित सेमिनार) का इस्तेमाल किया जाएगा।

समान संवर्ग भर्ती

X.42 2015 से ग्रेड बी पद के अधिकारियों के लिए समान भर्ती प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उदाहरण के लिए, चयन की नई योजना भारतीय रिज़र्व बैंक सर्विसेस बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान के परामर्श से तैयार की जा रही है। चयन की आगामी नई

योजना लागू होने से भर्ती चक्र छोटा होने की संभावना है। समान भर्ती के लिए प्रथम चरण की परीक्षा नवंबर 2015 में संभवतः आयोजित की जाएगी।

बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

X.43 रिज़र्व बैंक द्वारा फरवरी 2012 में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) रूपरेखा अपनाई गई, जो जोखिम प्रबंधन के प्रति 'एकांगी' (साइलो) आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर 'संपूर्ण कारोबारी' नजरिया दर्शाता है। तदनुसार, जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) द्वारा रिज़र्व बैंक हेतु तीन-चरणीय ईआरएम योजना लागू करने पर विचार किया गया।

X.44 रिज़र्व बैंक द्वारा अपनाए गए *तिहरी-बचाव-व्यवस्था* दृष्टिकोण के अनुसार, कारोबार क्षेत्र (बीएज़) पहली बचाव व्यवस्था है क्योंकि बीएज़ अपने संबंधित जोखिमों की पहचान और प्रबंधन करता है, जबकि जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) दूसरी बचाव व्यवस्था के तौर पर सभी बीएज़ को महत्त्वपूर्ण जोखिमों का पता लगाने में सहयोग करता है, जोखिम संबंधी नीतियों का निर्माण करता है, जोखिम मूल्यांकन कार्य-प्रणाली तैयार करता है, जोखिम नियंत्रण संरचना (आरजीएस) को जोखिमों की सूचना देता है और रिज़र्व बैंक में जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करता है (बॉक्स X.3)। अंततः, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य, जो तीसरी बचाव व्यवस्था है, आरजीएस को जोखिम-आधारित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के जरिए जोखिम आश्वासन प्रदान करता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.45 2013-14 में जोखिम-रिपोर्टिंग संरचना लागू की गई, जो बीएज़ की जोखिम रूपरेखा बनाने के लिए जोखिम रजिस्टर

बॉक्स: X.3
केंद्रीय बैंकों में परिचालन जोखिम निगरानी रूपरेखा

बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने परिचालन जोखिम को 'अपर्याप्त या असफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोग एवं प्रणाली या बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि के जोखिम' के रूप में परिभाषित किया है। केंद्रीय बैंक भी परिचालन जोखिम के दायरे में है और, जोखिम-संवेदनशील संस्था होने के नाते, अपने वास्तविक एवं संभावित परिचालन जोखिम एक्सपोज़र की बड़ी सावधानी से निगरानी करता है। तथापि, केंद्रीय बैंकों में परिचालन जोखिमों की निगरानी के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क नहीं है। भारतीय रिज़र्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक सहित 61 से अधिक केंद्रीय बैंकों का अंतरराष्ट्रीय परिचालन जोखिम कार्य-दल (आईओआरडब्ल्यूजी) परिचालन जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) के संबंध में क्षमता के एक केंद्र के रूप में कार्य करता है। अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई ओआरएम रूपरेखा में आम तौर पर दुर्घटना रिपोर्टिंग प्रणाली एवं आवधिक जोखिम सर्वेक्षणों के अतिरिक्त जोखिम मूल्यांकन कार्य-प्रणाली, जोखिम रिपोजिटरी एवं हीट मैप शामिल हैं।

जोखिम मूल्यांकन कार्य-प्रणाली में सामान्यतः जोखिम घटित होने की संभाव्यता एवं उसके प्रभाव की गंभीरता दोनों का उपयोग किया जाता है ताकि श्रेणीबद्ध मापक (जैसे, उच्च, पर्याप्त या स्वीकार्य) के जरिए उसका जोखिम स्तर निर्धारित किया जा सके। मात्रात्मक एवं गुणात्मक, दोनों कारकों के जरिए जोखिम घटित होने की संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है। किसी संगठन पर परिचालन जोखिम घटित होने के प्रभाव को वित्तीय प्रभाव, कारोबारी परिचालनों/ग्राहक सेवा में बाधा, संस्था की प्रतिष्ठा पर आंच आना, या इन तीनों को संयुक्त रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जोखिम रिपोजिटरी को जोखिम रजिस्टर भी कहा जाता है। इसमें संस्था की प्रत्येक प्रक्रिया/गतिविधि की गणना, बुनियादी स्तर पर उससे जुड़े जोखिमों का वर्णन, अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए नियंत्रण, एवं नियंत्रणों को ध्यान में रखते हुए शेष, अर्थात् अवशिष्ट जोखिम शामिल हैं।

हीट मैप, कारोबार क्षेत्र की जोखिम रूपरेखा की तस्वीर है, क्योंकि वह विभिन्न जोखिमों की कलर-कोडेड प्रस्तुति करता है। हीट मैप, नियंत्रण के प्रयोग के कारण, सभी जोखिम क्षेत्रों में प्रक्रियाओं के स्थानांतरण को भी दर्शाता है। आईआरएस, संगठनातमक शिक्षा को बढ़ावा देने एवं जोखिम के खिलाफ पूंजी बफर के निर्माण हेतु परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने की दृष्टि से परिचालन जोखिम संबंधी घटनाओं के संबंध में संस्थागत चेतना का निर्माण करता है। दूसरी तरफ, जोखिम सर्वेक्षण, परिचालन वातावरण में वर्तमान एवं उभरते जोखिमों की पहचान कर संगठन की जोखिम रूपरेखा की चालू अद्यतन क्रिया में सहयोग करता है।

संगठन की जोखिम संस्कृति जोखिम को पहचानने और, इस प्रकार, उसके जोखिमों की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है, इसलिए रिज़र्व बैंक द्वारा जोखिम के प्रति अपने स्टाफ की जागरुकता को बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया गया ताकि संस्था में *जोखिम संस्कृति* को गहरा एवं व्यापक किया जा सके। इसे जोखिम निगरानी हेतु कंप्यूटरीकृत माहौल उपलब्ध कराने के जरिए सुदृढ़ किया जाएगा ताकि कारोबार क्षेत्र जोखिम डेटाबेस का एक्सेस कर सके। साथ ही, रिज़र्व बैंक में जोखिमों की रेटिंग हेतु सतत दृष्टिकोण लागू करने की दिशा में कार्य जारी है। कारोबार क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे रिज़र्व बैंक में उभरते जोखिमों की पहचान एवं निगरानी करने के लिए एक साधन के रूप में जोखिम सर्वेक्षणों का उपयोग किया जाता रहेगा।

तैयार करने हेतु दिशानिर्देश एवं टेम्पलेट विकसित करने के साथ ही वास्तविक एवं ज़रा-सी चूक घटनाओं वाली संस्थागत स्मृति के निर्माण के लिए घटना रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना करने के उद्देश्य से की गई थी। निर्धारित बीएज़ में से 5 ने जोखिम रजिस्टर तैयार कर लिए हैं और 27 बीएज़ में कार्य प्रगति पर है। वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक में जोखिम संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए एक जोरदार जोखिम प्रबंधन जागरुकता अभियान प्रारंभ किया गया।

X.46 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक की पूंजी एवं आंतरिक आरक्षित निधियों की स्थिति का संरचित एवं व्यवस्थित तरीके से आकलन करने के लिए रिज़र्व बैंक हेतु आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) का एक मसौदा तैयार किया गया (बॉक्स X.4)। इसके अलावा, वर्ष में, रिज़र्व बैंक की जोखिम वहन करने की क्षमता की रूप-रेखा (आरएएफ) तैयार करने एवं उसे कार्यान्वित करने पर भी विचार किया गया।

बॉक्स X.4
केन्द्रीय बैंकों में जोखिम प्रबंधन एवं आर्थिक पूंजी

केन्द्रीय बैंकों का लोक नीति अधिदेश उनके जोखिम प्रबंधन के प्रसंग को वाणिज्यिक संस्थाओं से बिलकुल अलग करता है, और उनके जोखिम प्रबंधन में, लाभ में वृद्धि करने की अपेक्षा उनकी नीति की दक्षता को सुरक्षित रखने एवं बढ़ाने पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित किया जाता है। लोक हित की खोज में 'नीति प्रबलता' के इस सिद्धांत के अनुसार केन्द्रीय बैंक को अपने तुलन पत्र में प्रायः पर्याप्त वित्तीय जोखिम धारण करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक रुपए के बाह्य मूल्य में विश्वास को बनाए रखने के अपने मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि रखता है, जो उनके तुलन पत्र का लगभग तीन-चौथाई है। आरक्षित निधियां भले ही बाह्य झटकों से देश की रक्षा करती हैं लेकिन उससे रिज़र्व बैंक को भारी विनिमय दर जोखिम का सामना भी करना पड़ता है। रिज़र्व बैंक को ऐसे जोखिम उठाने ही पड़ते हैं, जिसके लिए कोई बचाव व्यवस्था नहीं है।

केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने की भूमिका उसे व्यापक जोखिम के दायरे में भी डालता है, जिसमें बाजार के मध्यक्षेपों से होने वाली हानि, अंतिम ऋणदाता (एलओएलआर) की भूमिका, अंतिम बाजार निर्माता (एमएमएलआर) की भूमिका एवं अर्ध-राजकोषीय परिचालन शामिल हैं। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि, इन अधिदेशों की वजह से केंद्रीय बैंकों को वित्तीय प्रणाली को जोखिम-मुक्त करने के लिए प्रणालीगत वित्तीय तनाव के दौरान कभी-कभी जोखिम के विरुद्ध प्रति-सहजानुभूत (काउंटर-इंट्यूशिव) दृष्टिकोण अपनाने और अपने तुलन पत्र में अधिक जोखिम वहन करने की जरूरत पड़ सकती है।

केंद्रीय बैंकों के जोखिम अत्यधिक हो सकते हैं एवं इसलिए उनकी हानि न तो असाधारण हैं और न ही नगण्य, जैसा कि आम तौर पर माना जाता है। हाल की अवधि में, विकसित देशों में बहुत सारे केंद्रीय बैंकों को नुकसान सहना पड़ा जबकि उभरती/प्रगतिशील अर्थव्यवस्थाओं को 1980 एवं 1990 में भी हानि उठानी पड़ी। आश्चर्यजनक बात है कि, इन केंद्रीय बैंकों को सिक्का ढलाई मुनाफा करने के बावजूद नुकसान सहना पड़ा, जो उनकी वित्तीय शक्ति का महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

इन विशिष्ट चुनौतियों को देखते हुए, केंद्रीय बैंकों में वित्तीय जोखिम प्रबंधन की दिशा में सामान्य दृष्टिकोण है कि उनमें नीतिगत कार्यवाई से उत्पन्न जोखिमों का सक्रिय रूप से प्रबंधन नहीं किया जाता बल्कि यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके तुलन पत्रों में इन जोखिमों को खपाने की पर्याप्त वित्तीय आघात-सहनीयता मौजूद है। इस प्रकार, वे जोखिम-अंतरण/लाभांश-सहजीकरण प्रक्रियाओं की पूरक व्यवस्था के साथ पर्याप्त मात्रा में आर्थिक पूंजी बनाए रखते हैं।

घरेलू चलनिधि के प्रदाता के रूप में केंद्रीय बैंकों को चाहिए कि वे पूंजी को वर्तमान चिंता के रूप में बने रहने न दें बल्कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता के संबंध में नीति की दक्षता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करें। कमजोर वित्त से केंद्रीय बैंक को या तो सिक्का ढलाई मुनाफा करने, जो उनके मूल्य-स्थिरता संबंधी उद्देश्य के विरुद्ध है, या सरकार से पुनःपूंजीकरण कराने, जो उनकी स्वायत्तता पर प्रभाव डाल सकता है, पर निर्भर होना पड़ सकता है।

केंद्रीय बैंक की पूंजी आवश्यकता पर्याप्त रूप से घट-बढ़ सकती है, जो अन्य बातों के साथ-साथ अनेक कारकों पर निर्भर करता है:

- *आघातों का आकार एवं केंद्रीय बैंक के अधिदेश का कार्यक्षेत्र:* केंद्रीय बैंक के दायित्वों का क्षेत्र जितना व्यापक होगा जोखिम भी उतना ही अधिक होगा एवं, इसलिए, पूंजी आवश्यकता भी अधिक होगी।
- *केंद्रीय बैंकों द्वारा अपनाई गई लेखा नीति रूपरेखा:* जिन केंद्रीय बैंकों की आस्तियों के मूल्य में समय-समय पर परिवर्तन होता है उनकी वित्तीय स्थिति में बड़ी अस्थिरता पाई जाती है, जिससे पूंजी आवश्यकता बढ़ती है।
- *संस्थागत व्यवस्थाएं:* केंद्रीय बैंक के पुनःपूंजीकरण संबंधी सांविधिक प्रावधानों के साथ-साथ जोखिम अंतरण प्रणालियों के जरिए उनकी पूंजी आवश्यकताओं को कम किया जा सकता है, यद्यपि समाप्त नहीं किया जा सकता।
- *सरकार की राजकोषीय गुंजाइश:* केंद्रीय बैंक को पुनःपूंजीकरण की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक उस समय जब राजकोषीय स्थिति तनाव में हो, जैसे, वित्तीय संकट के कारण से। यह केंद्रीय बैंक की पूर्व पुनःपूंजीकरण की अपेक्षा *प्रत्याशित* पूंजीकरण की स्थिति को सुदृढ़ करता है।

(जारी...)

यूरोपीयन केंद्र बैंक एवं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और स्वीडन के केंद्रीय बैंक अपनी आरक्षित निधि पर्याप्तता/जोखिम प्रावधान निर्धारित करने हेतु जोखिम मूल्य, प्रत्याशित कमी, दबाव-परीक्षण एवं अन्य जोखिम मॉडल जैसी कार्य-प्रणालियों का उपयोग करते हैं। सेन्ट्रल बैंक ऑफ न्यूजीलैंड के पास अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं को रूप देने के लिए सु-विकसित आर्थिक पूंजी रूपरेखा मौजूद है। यह काम चुनौतिपूर्ण है क्योंकि रिज़र्व बैंक न केवल अपने तुलन पत्र के जोखिमों अपितु उसके 'आकस्मिक जोखिमों', जो मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने में उसकी लोक नीति भूमिका से उत्पन्न होता है, को भी वहन करने की योजना बना रहा है।

संदर्भ:

1. बेसकंड, जिओफ (2015), 'सेन्ट्रल बैंक परफार्मेन्स, फाइनेन्शियल मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन', *राष्ट्रीय आस्ति-देयता प्रबंधन यूरोप सम्मेलन, लंदन में 12 मार्च 2015 को दिया गया व्याख्यान।*

2. क्युकैरमेन ए. (2011), 'सेन्ट्रल बैंक फाइनेन्सस एंड इंडीपेंडेंस - हाउ मच कैपिटल शुड ए सेन्ट्रल बैंक हैव?' *केंद्रीय बैंकों की पूंजी संबंधी जरूरतें,* एस.मिल्टन एवं पी.सिंक्लैर (ईडीएस.)।

3. स्कोबर्ट एफ. (2008), 'वाई डू सेंट्रल बैंक्स मेक लॉसस?' *केंद्रीय बैंकिंग जर्नल,* फरवरी।

2015-16 की कार्यसूची

X.47 आने वाले वर्ष में, रिज़र्व बैंक में ईसीएफ को परिष्कृत कर कार्यान्वित कर दिया जाएगा। आरएएफ, जिसका विकास हो रहा है, को लागू करने की भी योजना बनाई गई है। सभी बीएज़ के जोखिम रजिस्टर तैयार होते ही प्रत्येक बीए, क्षेत्रीय कार्यालय एवं संपूर्ण संगठन की जोखिम रूपरेखा/हीट मैप प्रकट हो जाएगा। घटना रिपोर्टिंग प्रणाली, भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को प्रभावशाली तरीके से रोकने/निपटने की दृष्टि से सभी घटनाओं के स्वरूप की पहचान करने में मदद करेगा। उभरते जोखिमों की निगरानी हेतु सहयोग प्रदान करने के साथ ही शीर्ष जोखिमों की समीक्षा के लिए जोखिम सर्वेक्षण किए जाएंगे। संगठन में जोखिम संस्कृति को मजबूत करने के लिए सभी स्तरों पर एवं सभी स्थानों में जोखिम जागरुकता लाने के प्रयास जारी रहेंगे।

रिज़र्व बैंक में आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण

X.48 रिज़र्व बैंक के निरीक्षण विभाग द्वारा की गई आंतरिक लेखापरीक्षा/निरीक्षण, सुदृढ़ जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) रूपरेखा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण एवं गवर्नेन्स प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं विश्वसनीयता की जांच करता है और रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा एवं जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को नियमित रूप से प्रतिक्रिया देता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.49 जनवरी-दिसंबर 2014 की लेखापरीक्षा योजना पूरी तरह से कार्यान्वित की गई थी। सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षकों का दल तैयार किया जा चुका है, प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है और इन सूचीबद्ध लेखापरीक्षकों द्वारा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षाओं (आरबीआईएज़) के हिस्से के रूप में आईएस लेखापरीक्षाएं की जा रही हैं। 'केंद्रीय बैंकर्स के लिए सार्क क्षेत्र में आंतरिक लेखापरीक्षा एवं उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन' पर फरवरी 2015 में एक संगोष्ठी आयोजित की गई। व्यापक लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली (एएमएस) की योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका, क्योंकि विभिन्न केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) में जोखिम रजिस्टर तैयार किए जा रहे थे। जहां तक संवेदनशीलता आकलन एवं व्यापन परीक्षण (वीएपीटी) का संबंध है, वीएपीटी हेतु बाह्य लेखापरीक्षकों को सूची में शामिल करने के लिए एक तकनीकी परामर्शी समूह (टीएजी) का गठन किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.50 वर्ष 2015-16 में, विभाग को निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित करना होगा: i) सीओडीज/ क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओज़) के जोखिम रजिस्टरों के आधार पर प्रमुखतः अनुपालन आधारित लेखापरीक्षा से आरबीआईए में सहज एवं निर्बाध अंतरण सुनिश्चित करना; ii) रिज़र्व बैंक के लिए उपयुक्त समुचित एएमएस

एप्लीकेशन निश्चित करना, जो लेखापरीक्षा प्रक्रिया के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करेगा; iii) कॉर्पोरेट ई-मेल एवं तत्काल सकाल निपटान (आरटीजीएस) एप्लीकेशन का वीएपीटी आरंभ करना; iv) संशोधित प्रक्रियाओं/मानदंड़ों के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करना; और v) सभी नव भू-संपदा, आईटी संबंधित एवं अन्य परियोजनाओं के संबंध में प्रॉजेक्ट लेखापरीक्षा हेतु समुचित दिशानिर्देश विकसित करना और साथ ही उसके कार्यान्वयन में संबंधित उपयोगकर्ता विभागों को सहयोग प्रदान करना।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

X.51 वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप और बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ बढ़ते व्यापार की वजह से रिज़र्व बैंक द्वारा कई अन्य केंद्रीय बैंकों के समान समर्पित अंतरराष्ट्रीय विभाग का गठन किया गया। विभाग भारत के राष्ट्र हितों को बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार के लिए एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है एवं अंतरराष्ट्रीय समष्टिआर्थिक समन्वय तथा वैश्विक नियामक मानकों में प्रमुख भूमिका अदा करने का प्रयास करता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

केंद्रीय बैंक की स्वैप व्यवस्थाएं

X.52 विभाग द्वारा ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका) आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था (सीआरए) का पृष्ठ भूमी कार्य किया गया। इसके परिणामस्वरूप 15 जुलाई 2014 को फारटेल्जा में सीआरए संधी तथा 7 जुलाई 2015 को मॉस्को में अंतर-केंद्रीय बैंक करार (आईसीबीए) पर हस्ताक्षर किए गए। सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को 400 मिलियन अमरीकी डॉलर का सहयोग प्रदान किया गया तथा एक विशेष/एड-हॉक स्वैप करार के अंतर्गत 1.1 बिलियन अमरीकी डालर की अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई।

बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ कार्य-व्यवहार

X.53 केंद्रीय एजेंसी के तौर पर, विभाग द्वारा बैंकिंग पर्यवेक्षण की बेसल समिति (बीसीबीएस), वैश्विक वित्तीय प्रणाली समिति (सीजीएफएस) एवं भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) से संबंधित कार्य का समन्वय किया गया। विभाग द्वारा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) की विभिन्न स्थायी समितियों/समूहों के साथ भी समन्वय किया गया। जी-20 मंच पर, रूपरेखा कार्य दल (एफडब्ल्यूजी) एवं निवेश और अवसंरचना कार्य दल (आईआईडब्ल्यूजी) से संबंधित कार्य देखे गए। विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक निधि (आईएमएफ) के साथ आर्टिकल IV परामर्श का समन्वय किया गया और वर्तमान में कोटा की सामान्य समीक्षा के मामले को देख रहा है।

सार्क वित्त (एसएफ)

X.54 एसएफ पहलों में, रिज़र्व बैंक एवं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द्वारा पूंजी प्रवाहों के संबंध में एक सहयोगात्मक अध्ययन शुरु किया गया। विभाग द्वारा लागू की गई एसएफ छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 हेतु चार छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। 2014-15 के उत्तरार्ध में, विभाग की स्थापना उपरांत, विभाग द्वारा 23 विदेशी समूहों/प्रतिनिधि मंडलों के रिज़र्व बैंक दौरे का संचालन किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.55 2015-16 में, विभाग सीआरए के परिचालन, सार्क वित्त डेटाबेस के निर्माण, वैश्विक मंच में बातचीत के महत्त्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में स्थिति प्रपत्र तैयार करना, फंड-बैंक द्वारा संभाव्य एफएसबी समकक्ष समीक्षा, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) का समन्वय एवं आईएमएफ के साथ आर्टिकल IV परामर्श की दिशा में कार्य करेगा। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता 2016 में करेगा। इस संबंध में विभाग सरकार के साथ मिलकर बैठकें आयोजित करेगा तथा कार्यसूची एवं योजना बनाएगा।

सरकारी और बैंक लेखा

X.56 सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए) सरकार के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के लेखाओं का कार्य देखता है। लेखा एवं उसके प्रस्तुतिकरण के क्षेत्र में, रिज़र्व बैंक अपने वार्षिक खातों/वित्तीय विवरणों के जरिए अधिक से अधिक पारदर्शिता की ओर अग्रसर है। सरकार के बैंकिंग कारोबार एवं उसकी आंतरिक लेखा प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए, रिज़र्व बैंक द्वारा बेहतर एवं अधिक कुशल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आईटी स्रोतों का लाभ उठाया जाता रहा है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.57 सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं तकनीकी समितियों (I एवं II) द्वारा बताए गए लेखा नीति संबंधी परिवर्तनों को कार्यान्वित

किया जा चुका है। तदनुसार, रेपो एवं रिवर्स रेपो अंतरणों को पूर्व के बिक्री एवं क्रय अंतरणों के स्थान पर अब क्रमशः ऋण एवं जमाराशि अंतरणों के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। इसके अतिरिक्त, भवन एवं मशीनरी, क्षत आस्ति एवं अर्जित लाभांश की मान्यता के पूंजीकरण/मूल्यह्रास से संबंधित नीतियों में किए गए परिवर्तनों को लागू किया गया।

2015-16 की कार्यसूची

X.58 तकनीकी समिति-I की सिफारिशों के अनुसरण में, सरकार के साथ परामर्श कर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 एवं भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमन, 1949 में संशोधन कर साप्ताहिक खातों, तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा के फार्मेट में 17 जुलाई 2015 से संशोधित किए गए। तकनीकी समिति-I ने सिफारिश की थी कि रुपया प्रतिभूतियां उचित मूल्य पर की जाएं एवं अप्राप्त लाभ या हानि को निवेश पुनर्मूल्यन खाते में अंतरित किया जाए।

X.59 एजेंसी बैंकों में सरकार के कारोबार का निरीक्षण करने की प्रणाली की समीक्षा के लिए फरवरी 2015 में एक कार्य-दल गठित किया गया। अपेक्षा की जाती है कि दल अपनी रिपोर्ट अगस्त 2015 के अंत तक प्रस्तुत करेगा। तदनुसार, एजेंसी बैंकों में सरकार के कारोबार के निरीक्षण में सुधार किया जाएगा।सरकार के कारोबार के व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) से संबंधित कार्य दल, जिसमें संबंधित सरकारी एजेंसियों, रिज़र्व बैंक एवं एजेंसी बैंकों से सदस्य लिए जाते हैं, द्वारा अक्तूबर 2015 तक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। सरकार के कारोबार हेतु बीपीआर बाद में प्रारंभ किया जाएगा। इसे 2015-16 से लागू की जाएगी।

विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि प्रबंधन

X.60 बाह्य निवेश और परिचालन विभाग (डीईआईओ) देश की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का कार्य देखता है। उसके आकार के बढ़ने से, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि का प्रबंध करने के उद्देश्य से लेखा, मूल्यांकन उपायों, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, आईटी अवसंरचना सहित आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाना अनिवार्य हो गया है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.61 वर्ष के दौरान, बाजार एवं आस्ति वर्ग विविधता को उच्च स्तरीय एवं आंतरिक कार्यनीति समितियों के संपूर्ण मार्गदर्शन में सुरक्षा, चलनिधि एवं प्रतिलाभ की व्यापक रूपरेखा के अंतर्गत देखा गया। तकनीकी समिति-II की सिफारिशों के अनुसरण में, मध्यक्षेप संबंधी कार्यों एवं बंद-बाजार दरों पर रेपो स्वरूप के स्वैप हेतु बैंक द्वारा की गई वायदा संविदाओं का 30 जून 2014 तक लेखा शोधन किया गया। वर्तमान ट्रेजरी प्रणाली को अक्तूबर 2014 में नई स्टेट-ऑफ-दि-आर्ट प्रणाली से बदला गया और बैंक के कोर बैंकिंग समाधान में समन्वित किया गया। वर्ष के दौरान ऋण, बाजार एवं परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कतिपय अंतरराष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं लागू और प्रलेखित की गईं। नियमित अभ्यास पर केंद्रित अधिक मजबूत आपदा उद्धार प्रणाली स्थापित की गई।

2015-16 की कार्यसूची

X.62 2015-16 की कार्यसूची में तकनीकी समिति-II की, प्रमुख रूप से विदेशी मुद्रा आस्तियों (एफसी) और स्वर्ण में मूल्यांकन परिवर्तन से संबंधित, शेष सिफारिशें भी हैं। बैंक, आपदा प्रेरित दुर्घटनाओं के प्रभाव को कम करने की दिशा में वैकल्पिक जगहों से सीधा परिचालन करने की सोच रहा है। बैंक कम अर्जन वाले माहौल में चलनिधि एवं सुरक्षा के उद्देश्यों को त्यागे बिना प्रतिलाभ को बढ़ाने के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधन की रणनीति और कार्यनीति को परिष्कृत करने के अपने प्रयास को जारी रखेगा।

आर्थिक और नीति अनुसंधान

X.63 केंद्रीय बैंकों में अनुसंधान एक समीक्षात्मक गतिविधि है। रिज़र्व बैंक में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) को आर्थिक और नीतिगत संबंधी मामलों में अनुसंधान इनपुट और एमआईएस सेवाएं (अर्थात् प्रबंधन सूचना प्रणाली) उपलब्ध कराने का कार्य सौंपा गया है। विभाग को समष्टि आर्थिक और मौद्रिक नीति मामलों में नीति उन्मुख अनुसंधान में ज्ञान केन्द्र के रूप में स्वयं को विकसित और स्थापित करने का भार सौंपा गया है। यह विभाग

मामला- आधारित मध्यम अवधि अनुसंधान एजेंडा का अनुसरण करता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

X.64 विभाग ने अपने प्रमुख प्रकाशन यथा वार्षिक रिपोर्ट, राज्य वित्त पर अध्ययन और भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का कार्य किया। रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 का मुख्य संदेश समझाने के लिए वर्ष के दौरान विभिन्न केंद्रों में मुख्यतः विश्वविद्यालयों में चार आउटरीच संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। जनवरी 2015 से साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक (डब्ल्यूएसएस) का प्रिंट-वर्शन बंद कर दिया गया और उसकी ऑन-लाइन उपलब्धता जारी रखना सुनिश्चित किया गया। मौद्रिक समुच्चय, भुगतान संतुलन, बाह्य ऋण, हाउसहोल्ड वित्तीय बचत और निधि प्रवाह संबंधी प्राथमिक आंकड़ों का नियमित संकलन और प्रसार होता रहा। वर्ष के दौरान, 1997-2007 की अवधि के लिए रिज़र्व बैंक इतिहास खंड V से संबंधित कार्य प्रारंभ किया गया।

X.65 2014-15 के दौरान, 40 अनुसंधान पेपर्स संपन्न हुए जिसमें से नौ बाह्य देशी और विदेशी जर्नलों में प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ओकेश्नल पेपर्स (बैंक का अनुसंधान जर्नल) में सात अनुसंधान पेपर्स शामिल थे। अनुसंधान-पत्र में अनेक अभिरूचि क्षेत्र : मुद्रास्फीति गतिकी, विनिमय दर, बैंकिंग क्षेत्र में आस्ति गुणवत्ता, मौद्रिक नीति प्रसारण, वित्तीय स्थिरता और टैपर टॉक और उसका प्रभाव शामिल हैं। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 में विभिन्न उपक्रम प्रारंभ किए गए जैसे श्रेष्ठ अनुसंधान पेपर अवार्ड स्थापित करना, रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर्स और सामाजिक पेपर्स के लिए बाहरी अनुसंधानकारियों/विशेषज्ञों के साथ रिज़र्व बैंक स्टाफ के सह-लेखन की अनुमति तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए आचार संहिता की रूप-रेखा तैयार करना।

X.66 विभाग द्वारा आयोजित विशिष्ट कार्यक्रमों में 11 फरवरी 2015 को मि.स्टेनले फिशर, उप-अध्यक्ष, यूएस फेडरल रिज़र्व द्वारा 'अमेरीका में आर्थिक आउटलुक और मौद्रिक नीति' पर आयोजित सेमीनार शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम 'सुश्री क्रिस्टीन लगार्डे, प्रबंध निदेशक, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक नीति (आइएमएस) के साथ वार्ता' 17 मार्च 2015 को आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान तृतीय भारतीय रिज़र्व बैंक चेयर प्रोफेसर्स एवं डीईपीआर रिसर्चर्स संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 'जोखिम प्रबंधन तथा समष्टि असंतुलन' के विस्तृत विषय-वस्तु के तहत आने वाले अनेक मुद्दों पर पेपर प्रस्तुत करना शामिल है। इसके अलावा, डीईपीआर अध्ययन सर्किल के भाग के रूप में अनेक विषय-वस्तुओं पर विभिन्न सेमीनार आयोजित किए गए जिनमें बाहरी विशेषज्ञों की सहभागिता रही।

2015-16 की कार्यसूची

X.67 इसके अलावा, अनुसंधान क्षेत्र जिन्हें 2015-16 के दौरान शामिल किये जाने पर विचार किया जायेगा वे हैं संवृद्धि और निवेश, विनिमय दर, मौद्रिक नीति प्रेषण अंतराल, वित्तीय बाज़ारों में मामले, संभाव्य आउटपुट, सर्वोत्कृष्ट मौद्रिक नीति नियम, अंतरराष्ट्रीय मूल्यों का देशी मूल्यों में अंतरण तथा खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को मूल मुद्रास्फीति में अंतरण। विभाग द्वारा 2015-16 के दौरान बहु संख्या में संगोष्ठी/व्याख्यान आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रबंधन सूचना प्रणाली में बदलाव लाने का प्रस्ताव है तथा प्रकाशनों को पुनर्गठित किया जायेगा। संपूर्ण रूप से इतिहास कक्ष के गठन के बाद इतिहास खंड V के ड्राफ्टिंग का कार्य शुरू किया जाएगा।

सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन

X.68 सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम) सांख्यिकीय विश्लेषण और पूर्वानुमान, रिज़र्व बैंक का डाटा वेयरहाउस का रख-रखाव, संरचित सर्वेक्षण का कार्य, बैंकिंग, कार्पोरेट तथा बाह्य क्षेत्रों से संबंधित व्यापक सांख्यिकीय प्रणालियों के प्रबंधन द्वारा जनता को समष्टि-वित्तीय सांख्यिकी उपलब्ध करवाता है तथा नीति को सांख्यिकीय सहायता और विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करता है तथा रिज़र्व बैंक के परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को देखता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन स्थिति

डाटा प्रबंधन, प्रसार और प्रकाशन

X.69 विभाग ने जहां संभव हो सका वहां समय-अंतराल कम कर के समय-सारणी के अनुसार बैंकिंग, कोर्पोरेट और बाह्य क्षेत्र

संबंधी सांख्यिकी प्रस्तुत की। बचत और पूंजी निर्माण के आकलन तथा निजी कोर्पोरेट निष्पादन विश्लेषण के लिए कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ कोर्पोरेट नियामक फाइलिंग का डाटा इस्तेमाल किया गया। समन्वित संविभाग निवेश सर्वेक्षण (सीपीआईएस) की आवधिकता वार्षिक से अर्ध-वार्षिक बढ़ाई गई। वर्कशॉप और प्रायोगिक सर्वेक्षण के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) में चरण-2 आधिकता के कार्यान्वयन में बैंक शामिल थे।

X.70 त्रैमासिक बीएसआर-1 डाटा जिसमें प्रत्येक बैंकों के खाते शामिल हैं उसका पहली बार आरंभ किया गया। ई-एक्सटेन्सिबल कारोबार रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) - आधारित विवरणी प्रस्तुतीकरण का कार्य-क्षेत्र 23 नई विवरणियों के साथ व्यापक बनाया गया तथा अन्य 23 विवरणियों के लिए विकासात्मक कार्य आगे बढ़ रहा है। वर्ष के दौरान बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत करना, स्वचालित डाटा प्रवाह (एडीएफ)प्रणाली के सही कार्यान्वयन हेतु बैंकों का मार्गदर्शन करना और एक्सबीआरएल प्रणाली को इससे सहलग्न करने जैसे कार्य आरंभ किए गए। बड़े ऋण पर रिपोर्ट के आधार पर एक क्रेडिट रिपोज़िटरी विकसित की गई जिसमें प्रणाली-व्यापक मानकीकरण प्रयासों के एक भाग के रूप में आयकर-स्थायी खाता संख्या (आईटी-पीएएन) को उधारकर्ता-पहचान के लिए शुरू किया गया।

सर्वेक्षण और अनुसंधान

X.71 मौद्रिक नीति निर्माण को इनपुट उपलब्ध कराने के लिए कतिपय सर्वेक्षणों की आवधिकता को नीति घोषणा चक्र के साथ समक्रमिक किया गया। सर्वेक्षण हेतु तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन के अंतर्गत सर्वेक्षणों में प्रणाली संबंधी सुधार प्रदान करने के प्रयास किए गए। आवासीय परिसंपत्ति कीमत निगरानी प्रणाली के प्रमुख परिणामों पर आधारित एक लेख जारी किया गया। पूर्वानुमान के ढांचे को अद्यतन किया गया तथा एक त्रैमासिक समष्टि ईकानोमेट्रिक मॉडेल परिचालित किया गया। रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर सिरीज़ / अन्य प्रकाशन / अकादमी सम्मेलनों में कतिपय अनुसंधान अध्ययनों का योगदान रहा।

2015-16 की कार्यसूची

X.72 वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गठित समिति ने चरण-2 को अंतर-राष्ट्रीय बैंकिंग सांख्यिकी (आईबीएस) तक विस्तारित करने की सिफ़ारिश की थी, जिसके आधार पर सांख्यिकीय और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआइएम), अंतर-राष्ट्रीय निपटान बैंक द्वारा सिफारिशों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी अनुभाग के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शिका का विमोचन किया जाएगा। अधिक विवरणियों की मानकीकृत रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए एक्सबीआरएल परियोजना का चरण III आरंभ किया जाएगा जहां बैंकों को अपनी स्वचालित डाटा प्रवाह (एडीएफ) प्रणाली को एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग के अनुकूल बनाने के लिए राजी किया जाएगा। बैंकिंग सांख्यिकी को सुसंगत बनाने संबंधी कार्य जारी रखा जायेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलभूत सुविधा पर डाटाबेस (डीबीआईई), सार्क वित्त क्षेत्रीय सांख्यिकीय डाटाबेस के विकास तथा ‘हैंडबुक ऑफ सार्कफाइनेंस’ के संकलन में इस्तेमाल किया जाएगा। कोर्पोरेट क्षेत्र निष्पादन, प्रत्याशा चैनल तथा समष्टिगत चरों का पूर्वानुमान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा।

विधि संबंधी मामले

X.73 रिज़र्व बैंक के विधि विभाग अन्य विभागों को परामर्श तथा सहायता प्रदान करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि रिज़र्व बैंक द्वारा विभिन्न मंचों पर लिए गए नीतिगत निर्णयों, कार्रवाई और स्थिति कानूनी तौर पर सुदृढ़ और बचाव योग्य हो। यह विभाग रिज़र्व बैंक को आरटीआई अधिनियम संबंधी मामलों में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन स्थिति

X.74 वर्ष के दौरान गुजरात और मद्रास उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित निर्णयों के विरुद्ध उच्चत्तम न्यायालय के समक्ष बहु संख्या में अपील और रिट याचिकाएं दायर की गईं जिनमें वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2(1) (0) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। उक्त प्रावधान ने रिज़र्व बैंक को आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण मानदंड पर दिशा-निर्देश तैयार

करने हेतु सक्षम बनाया। तदोपरांत उच्चत्तम न्यायालय ने उक्त प्रावधान को संवैधानिक रूप से मान्य घोषित किया है।

X.75 गुजरात उच्च न्यायालय को आयोनिक मेटालिक्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के संबंध में एक मामले से निपटना पड़ा जिसने अन्य बातों के साथ-साथ इरादतन चूककर्ताओं पर रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र तथा उस परिपत्र के आधार पर कतिपय बैंकों द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती दी। तथापि, न्यायालय ने परिपत्र को जारी करने के रिज़र्व बैंक के प्राधिकार को कायम रखते हुए यह सूचित किया कि सभी निदेशकों पर उनकी सहभागिता और जिम्मेदारी पर ध्यान दिए बिना परिपत्र को लागू करना ना तो उचित होगा और ना ही तर्कसंगत।

2015-16 की कार्यसूची :

X.76 इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार उपयोग (एफएसएलआरसी) की सिफारिशों से संबंधित मामलों तथा भारतीय वित्तीय संहिता (आइएफसी) के अधिनियमन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों में कतिपय संशोधन का अनुसरण करने की आवश्यकता है ताकि निश्चित अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता और मानक को पूरा किया जा सके और कुछ प्रावधानों का स्पष्टीकरण देते हुए हटाया जा सके।

कोर्पोरेट कार्यनीति और बजट बनाना

X.77 कोर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) 2014 में संगठनात्मक पुनर्गठन के एक भाग के रूप में पहले के व्यय और बजट नियंत्रण विभाग में से उत्कीर्ण हुआ है। सीएसबीडी का प्रमुख कार्य एक गतिविधि आधारित और शून्य आधारित बजट अपनाकर रिज़र्व बैंक का बजट तैयार करना तथा संसाधनों को किफायती रूप से आबंटित करना है। व्यय की निगरानी केन्द्रीय बोर्ड समिति को प्रेषित त्रैमासिक समीक्षा के माध्यम से की जाती है। 2014-15 के दौरान, सीएसबीडी ने क्षेत्रीय निदेशकों, क्षेत्रीय कार्यालयों और केन्द्रीय कार्यालय विभागों के बजट अधिकारियों के साथ पारस्परिक चर्चाएं की ताकि उन्हें आयोजित गतिविधियों पर ध्यान देने और बजट प्रक्रिया को व्यय निगरानी हेतु साधन के रूप में इस्तेमाल करने हेतु संवेदनशील बना सके।

2015-16 की कार्यसूची :

X.78 इसके अलावा, विभाग के निष्पादन क्षेत्र में रिज़र्व बैंक की कूटनीतिक प्राथमिकता पहचानना है और तदनुसार संसाधन आबंटित करना शामिल है। निधिबद्ध बाहरी संस्थानों के संबंध में सीएसबीडी का ध्यान उनके अनुसंधान और पूंजीगत व्यय को सहायता प्रदान करते हुए तीन वर्ष की अवधि के लिए उनके राजस्व खर्च का न्यूनतम निधियन करने पर केन्द्रित होगा। सीएसबीडी जून 2016 तक कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रतिपादित करेगा। वेतन का भुगतान और स्टाफ संबंधी भुगतान जो विभाग का प्रमुख कार्य है उसे मानव संसाधन और विकास विभाग (एचआरएमडी) द्वारा ले लेने की प्रक्रिया जारी है।

कोर्पोरेट सेवाएं

X.79 विशेषीकृत विभागों द्वारा उनके प्रमुख कार्यों पर ध्यान केन्द्रित करने के उद्देश्य से कोर्पोरेट सेवाएं विभाग (डीसीएस) का निर्माण किया गया। यह विभाग पुनर्गठन के भाग के रूप में निर्मित किया गया है तथा उसके पास कार्यक्रमों/बैठकों/आतिथ्य के प्रबंधन के माध्यम से कोर्पोरेट सहायता सेवाएं उपलब्ध करना; दर संविदा के एवार्ड हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना; कार्यालय लेखन-सामग्री का केन्द्रीकृत प्रबंध, ईलेक्ट्रानिक दस्तावेज़ प्रबंधन; और उच्च प्रबंध तंत्र को प्रोटोकोल सेवाएं प्रदान करने का अधिदेश प्राप्त है।

राजभाषा

X.80 रिज़र्व बैंक ने हिंदी तथा इसके कामकाज को बढ़ावा देने के लिए 2014-15 के दौरान, राजभाषा अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना जारी रखा। रिज़र्व बैंक का राजभाषा विभाग इस हेतु नोडल विभाग की भूमिका का निर्वाह करता है।

2014-15 की कार्यसूची: कार्यान्वयन की स्थिति

X.81 वर्ष के दौरान सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टोलिक) की सदस्यता प्राप्त की। राजभाषा नियम, 1976 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के छह कार्यालयों को अधिसूचित किया गया। वर्ष के दौरान कई प्रतियोगिताओं एवं समारोहों का आयोजन किया गया, जिसमें मई 2015 में *राजभाषा अधिकारियों* के लिए दो-दिवसीय सम्मेलन भी शामिल है। कंप्यूटरीकृत वातावरण में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने हेतु अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए गहन हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का

आयोजन किया गया और भारत सरकार द्वारा आयोजित की गई उक्त परीक्षा में 156 प्रशिक्षार्थी उत्तीर्ण हुए।

X.82 सांविधिक प्रकाशनों के साथ ही अन्य प्रकाशनों को भी द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया। बैंकिंग तथा वित्त को समर्पित तिमाही हिंदी पत्रिका *बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन* प्रकाशित की जा रही है। अर्द्ध-वार्षिक ई-समाचार पत्र *'राजभाषा समाचार'* का प्रथम अंक जनवरी 2015 में प्रकाशित किया गया।

X.83 संसदीय राजभाषा समिति ने 2015 में रिज़र्व बैंक के कोच्ची कार्यालय का दौरा किया। इस अवसर पर ई-बैंकिंग शब्दावली का विमोचन किया गया। तब से, शब्दावली को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट में अपलोड किया गया है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी -दोनों में खोज करने की सुविधा जैसी उन्नत विशेषताओं को शामिल किया गया है। संसदीय समिति ने रिज़र्व बैंक के दिल्ली और कोलकाता कार्यालयों का भी दौरा किया। समिति ने रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं की संख्या में वृद्धि करने एवं हिंदी विज्ञापनों पर व्यय बढ़ाने जैसे सुधारात्मक सुझाव दिए।

2015-16 की कार्यसूची

X.84 2015-16 की कार्य-योजना में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा व्यक्त सरोकार को स्वीकार किया गया है। 2015-16 को रिज़र्व बैंक में *राजभाषा स्वर्ण जयंती वर्ष* के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है और वर्ष के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों को समाहित करते हुए कार्य-योजना तैयार कर ली गई है। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के स्तर को और बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय निदेशकों तथा केंद्रीय कार्यालय विभाग प्रमुखों के लिए हिंदी कार्यशाला, क्षेत्रवार सम्मेलन, अनुवाद दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं के महत्व को निरूपित करते हुए विभिन्न हिंदी समारोहों के आयोजन की योजना तैयार की गई है।

परिसर

X.85 परिसर विभाग रिज़र्व बैंक की इमारतों की आधारभूत संरचना तैयार करता है और उनका रखरखाव करता है। 2014-15 में विभाग ने कुछ कार्यबाधित परियोजनाओं को सुचारू रूप दिया। डिजाइन एंड बिल्ड (डीबी) मोड के तहत अन्ना नगर, चेन्नै; दादर-परेल, मुंबई एवं अमीरपेट, हैदराबाद की रिहायशी कालोनियों और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई तथा रिज़र्व बैंक स्टाफ महाविद्यालय (आरबीएससी), चेन्नई में अतिरिक्त छात्रावासों की परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। इम्फाल में उप-कार्यालय एवं आवासों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वित्तीय बाजार परिचालनों के लिए मुंबई में डीलिंगरूम और बेंगलुरु में समग्र मानव संसाधन प्रणाली (सीएचआरएस) की वर्तमान आधारभूत संरचना का उन्नयन किया गया।

हरित प्रयास

X.86 हरित नीति के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों में ग्रिड इंटरेक्टिव सौर ऊर्जा प्लांटों की स्थापना की जा रही है। उत्पन्न होने वाली बेकार सामग्री (कचरा) का उपयोग करने के लिए कानपुर, तिरुवनंतपुरम, नई दिल्ली, बेंगलुरू एवं सीएबी, पुणे में जैविक कचरा परिवर्तक (ऑर्गेनिक वेस्ट कनवर्टर) लगाए गए हैं।

स्वच्छ भारत - स्वच्छता जांच (सेनिटेशन ऑडिट)

X.87 केंद्रीय कार्यालय भवन (सीओबी), फोर्ट तथा बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स, मुंबई स्थित कार्यालयों और मुंबई सेंट्रल कॉलोनी में प्रायोगिक आधार पर तृतीय पक्ष-स्वच्छता जांच की गई। इसके परिणामों के आधार पर सुधार करने और उनका निपटान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

2015-16 की कार्यसूची

X.88 2015-16 के दौरान, भूमि एवं भवनों के वर्तमान भौतिक संसाधनों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि आगामी दो से तीन वर्षों में उनका ईष्टतम प्रयोग किया जाना और रखरखाव की लागत में कमी किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। देहरादून और रायपुर में रिज़र्व बैंक के कार्यालयों का निर्माण प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। अपेक्षित वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने में हो रहे विलंब के कारण डीबी मोड के तहत हौज खास कालोनी, नई दिल्ली; चेंबूर कॉलोनी, मुंबई का पुनर्विकास किए जाने और मुंबई में केफ्रल भवन के निर्माण में बाधाएं आईं।

X.89 अक्तूबर 2015 तक, 20 कार्यालयों में वर्तमान ऐनालॉग सीसीटीवी प्रणालियों के स्थान पर इंटरनेट प्रोटोकॉल सीसीटीवी परियोजना लागू की जा रही है। सीओबी में समन्वित सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के दिसंबर 2015 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है। केंद्रीय कार्यालय भवन में स्थापित कार्ड आधारित भीतर प्रवेश की टर्नस्लाइट प्रणाली को क्षेत्रीय कार्यालयों पर भी अपनाया जा रहा है।